परिणामी बजट वर्ष 2026-27

विभाग- महिला एवं बाल विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- आयुक्त, महिला एवं बाल विकास

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2026-27	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
1	महतारी वंदन योजना	समाज में महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करने तथा आर्थिक स्वावलंबन एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश की प्रत्येक विवाहित महिलाओं को रू. 12,000/- वार्षिक वित्तीय सहायता देने की योजना।	82000000	लगभग 69.59 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जाना है।	
2	राज्य/क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण एवं संसाधन केन्द्र	महिलाओं तथा बच्चों के कार्यक्रमों से संबंधित विषय पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना।	180000	लगभग 400 अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण दिया जायेगा।	
3	महिला जागृति शिविर एवं दिशा दश	महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों तथा उनव हित में चलाई जा रही शासकीय योजनाओं की जानकारी देना तथा महिला समूहों को उत्कृष्ट कार्यो/अर्थोपार्जन गतिविधियों का अध्ययन भ्रमण कराना ।	60000	5000 महिलाओ को जागरूक किया जाना है।	
4	मुख्यमंत्री कन्या दान योजन	निर्धन परिवारों को कन्या के विवाह हेतु आर्थिव सहायता प्रदान करना	400000	लगभग 8000 कन्याओं का विवाह करवाया जायेगा।	
5	सक्षम आंगनबाड़ी केन्द्र एवं पोषण 2.0-पूरक पोषण आहार योजना	प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों में व्याप्त कुपोषण को दूर करने हेतु 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं शिशुवती महिलाउ को पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराना ।	6500000	पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत लगभग 27.00 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाना अनुमानि है।	
6	सक्षम आंगनबाड़ी केन्द्र एवं पोषण 2.0-किशोरी बालिकाओं के लिए योजना	14 से 18 वर्ष आयु की शाला जाने वाली एवं शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराना तथा प्रशिक्षण आदि ।	400000	प्रदेश के लगभग 1.79 लाख किशोरी बालिकाओं क पूरक पोषाहार प्रदाय ।	

परिणामी बजट वर्ष 2026-27

विभाग- महिला एवं बाल विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- आयुक्त, महिला एवं बाल विकास

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2026-27	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
7	आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को मानदेय एवं हितलाभ	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं को मानदेय ए सेवानिवृत्ति पर सम्मान निधि प्रदान करना।	5000000	आ.बा. कार्यकर्ता-52474, आ.बा. सहायिका-52474 व मानदेय तथा लगभग 400 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका को सेवानिवृत्ति पर सम्मान निधि	
8	महिला हेल्पलाईन 181	घर के भीतर/बाहर अथवा किसी भी रूप में पीड़ित व संकटग्रस्त महिला को त्वरित सहायता व आवश्यकतानुसार आपातकालीन सुविधा उपलब्ध कराया जायेगा।	8100	पीड़ित व संकटग्रस्त महिलाओं को अपालकालीन सुविधा/सहायता देना	
9	महिला सशक्तिकरण केन्द्र	महिलाओं हेतु संचालित योजनाओं की मानिटरिंग, समीक्षा, समन्वय तथा मिशन कार्यो हेतु योजना का संचालन	115800	महिलाओं को राज्य शासन की योजनाओं का लाभ प्रदाय किया जाएगा।	
10	वन स्टॉप सेन्टर (सखी)	किसी भी रूप में पीड़ित महिलाओं/बालिकाओं को आवश्यकतानुसार सभी प्रकार की अपातकालीन सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराया जायेगा जैसे- अस्थायी आश्रय, चिकित्सा विधिक सहायता, मनोवैज्ञानिक सलाह, मानसिक चिकित्सा, परामर्श सुविधा	200000	लगभग 5000 महिलाओं को लाभान्वित किया जावेगा।	
11	सखी निवास	परिवार से दूर रहने वाले कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और किफायती आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सखी निवास का संचालन	16200	लगभग 450 महिलाओं को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य	
12	शक्ति सदन	संकटग्रस्त महिलाओं विधवा, निराश्रित, तिरस्कृत एवं परित्यक्ता को आश्रय व सहारा, नि:शुल्क परिपालन व पुर्नवास करना एवं बच्चों तथा महिलाओं की मानव तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण से पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास और	34000		

परिणामी बजट वर्ष 2026-27

विभाग- महिला एवं बाल विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- आयुक्त, महिला एवं बाल विकास

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2026-27	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
		उन्हें समाज में पुनः जोड़ना।		300 महिलाओं को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य	
13	आंगनवाड़ी केन्द्रों का उन्नयन तथा ई.सी.सी.ई घटक	आंगनवाड़ी केन्द्रों को ई.सी.सी.ई. पाठ्यक्रम को लागू करने तथा संसाधन युक्त बनाना ।	150000	ई.सी.सी.ई पाठ्यक्रम को लागू करने प्रशिक्षण आदि बच्चों हेतु आं.बा. केन्द्रों को उन्नयन किये जाने हेतु आवश्यक सामग्री, फर्नीचर, डिस्प्लेबोर्ड आदि का प्रदाय, कुपोषण का आकलन करने में सक्षम तथा अन्य इलेक्ट्रानिक भार मापन यंत्र का प्रदाय ।	
14	छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण संरक्षण योजना	(1) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, 2015, में परिभाषित देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले तथा विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के सर्वोत्तम हित हेतु (उन गतिविधियों हेतु निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करना जो भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों और योजनाओं में विहित नहीं है) निधि की उपलब्धता सुनिश्चि करना। (2) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, 2015 एवं किशोर न्याय (बालकों क देखरेख और संरक्षण), नियम, 2016 द्वारा बालव के सर्वोत्तम हित हेतु निर्धारित देखभाल और सेवाओं के गुणवत्ता मानकों के संधारण बाबत आबंटित बजट की अपर्याप्तता की स्थिति में निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	50000		
15	शुचिता योजना	किशोरी बालिकाओं को सेनेटरी नेपकीन प्रदाय किया जाना	100000	1050 वेंडिग यूनिट मशीन लगाया जायेगा	

परिणामी बजट वर्ष 2026-27

विभाग- महिला एवं बाल विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- आयुक्त, महिला एवं बाल विकास

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम		उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2026-27	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
16	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना		गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को नगद राशि प्रदाय किया जाना	1200000	2.00 लाख महिलाओं को लाभन्वित करने का लक्ष्य	
17	कुपोषण मुक्ति कार्यक्रम	(अ)	प्रदेश के 0-5 वर्ष के बच्चों को कुपोषण एवं एनीमिया तथा 15 से 49 आयु वर्ग की महिला को एनीमिया से मुक्त करने के लिए जनभागीदारी को बढ़ावा देना। अभियान अंतर्गत गर्म भोजन एवं अतिरिक्त पोषण आहार के रूप में अण्डा, चिकी, लड्डू मूंगफली, दलिया आदि प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एनीमिक बच्चे एवं महिलाओं के आई.एफ.ए. अथवा सिरप कृमि नाशक दवा एवं व्यवहार त खान पान में सकारात्मक परिवर्तन के लिए परामर्श सेवाएँ दी जा रही है। कुपोषण मुक्ति अभियान अंतर्गत मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, कार्यकर्ता, सहायिका एवं अमले को प्रशिक्षण आवश्यक उपकरण का प्रदाय	1100000	लगभग 2.50 लाख बच्चों एवं 3.00 लाख महिलाओं को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।	
		(ब)	कुपोषण मुक्ति अभियान अंतर्गत मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, कार्यकर्ता, सहायिका एवं अमले व प्रशिक्षण, आवश्यक उपकरण का प्रदाय		बाल संदर्भ योजना अंतर्गत लगभग 2.50 लाख कुपोषित बच्चे लाभान्वित किये जायेगे।	
18	पालना		शहरी औद्योगिक क्षेत्रों की कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल हेतु आंगनबाड़ी सह क्रेश केन्द्रों का संचालन	100000	लगभग 5 हजार बच्चे लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य	
19	आंगनबाड़ी सेवांए (सामान्य)		योजना अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों व स्थापना व्यय एवं योजनांतर्गत विभिन्न घटकों के	8000000		

परिणामी बजट वर्ष 2026-27

विभाग- महिला एवं बाल विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- आयुक्त, महिला एवं बाल विकास्

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2026-27	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
		क्रियान्वयन। 0-6 वर्ष आयु के बच्चों को टीकाकरण, स्वास्थय जांच, संदर्भ सेवाएं एवं 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण आहार तथा 03-06 वर्ष तक के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा प्रदान करना।		06 माह से 06 वर्ष के लगभग 26.00 लाख बच्चों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य	
20	आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण	शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के भवन विहिन आंगनबाड़ी केन्द्रों में भवन उपलब्ध कराकर मूलभूत सुविधा देनाा	800000	1200 आंनगबाड़ी भवन का निर्माण	
21	मुख्यमंत्री बाल उदय योजना	मिशन वात्सल्य योजनांर्गत बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत बालकों के 18 वर्ष की आयु पूर्ण किये जाने पर बालकों को आवश्यक सहयोग देकर समाज में पुनर्स्थापित किये जाने हेतु आफ्टर केयर कार्यक्रम 'मुख्यमंत्री बाल उदय योजना' के क्रियान्वयन हेतु।	10000	150 बच्चों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य	
22	बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओं	महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बना जाने वैकल्पिक व्यवसाय हेतु कम ब्याज दर पर ऋण प्रदाय	80000		